

मु.नं. 1111/2024

राजदीप कौर vs लसबिंद्र सिंह

19/6/24

जर्नल पर जस्टिस करने पर काल  
 पहचान पत्र ही अधिवक्ता जपी  
 धर्मि जपी स्वयं धर्मि जर्नल  
 पर जस्टिस कर निवेदन किया कि  
 जर्नल पर जपी कागज नहीं  
 चलाना चाहता है इसी स्तर पर  
 स्वार्थी कबाज चाहता है अधिवक्ता  
 द्वारा वदना की गई जर्नल पर  
 स्वीकार कर इसी स्तर पर स्वार्थी  
 किया जाता है पूर्व के 8 कार्य  
 अधिवक्ता द्वारा दिनांक 12/07/24  
 स्वार्थी किया जाता है पहचान  
 केवल एक बार तकमिल  
 दाखल इमाल है

राजदीप कौर

सहायक कलक्टर

बीबीडगा

बिबा हुनुमानगर

